भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2325

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सुदृढ़ करना

2325. श्री ओम बिरलाः

श्री राधेश्याम बिश्वासः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में कुल स्वीकृत कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम के उल्लंघन की सफेदपोश अपराधों में वृद्धि हुई है और इनमें सरकार द्वारा एसएफआईओ की सहायता ली है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले शुरू किए गए हैं और इनमें कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या एसएफआईओ में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कमी है जिसके कारण यह कार्यालय अपने कृत्यों का समुचित निर्वहन नहीं कर पाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एसएफआईओ को स्वीकृत/आवंटित और उसके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) में स्वीकृत पद इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृत पद
2014-15	132
2015-16	132
2016-17	133
2017-18	133

(ख) और (ग): मंत्रालय द्‌वारा एसएफआईओ को सौंपे गए जांच के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या
2014-15	71
2015-16	184
2016-17	111
2017-18 (28.02.2018 तक)	208

(घ): 133 स्वीकृत पदों में से फिलहाल कुल 66 पद भरे हुए हैं।

उपर्युक्त के अलावा फिलहाल विभिन्न क्षेत्रों के कुल 35 विशेषज्ञ परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ङ.): पिछले तीन वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित और एसएफआईओ द्‌वारा उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	बजट आकलन (करोड़ रुपये में)	संशोधित आकलन (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	9.66	10.73	9.84
2015-16	11.56	10.50	10.18
2016-17	13.50	15.18	14.53
2017-18 (01.03.2018 तक)	17.37	18.66	13.83

*****